

**डिकी बमूकदमें इबतदाई** राजस्व लोक अदालत अभियान  
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी) न्याय आपके द्वार-2018  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-कमेडिया  
मु0न0 255/17

वादीगण-

- गिरधारीसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गडरिया तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

- दातारसिंह पुत्र विजयसिंह
- विजयसिंह पुत्र मूलसिंह
- सरोज पुत्री विजयसिंह जातियान राजपूत निवासीगण गडरिया तहसील जायल जिला नागौर।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88**  
**राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955**


निर्णय दिनांक :-07.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

- वादी गिरधारी के हक बंट में मौजा गडरिया का खेत ख नं 230 रकबा 31.04 बीघा में से 09 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- प्रतिवादी संख्या 1 दातार सिंह के हक बंट में मौजा गडरिया का खेत ख नं 230 रकबा 31.04 बीघा में से 09 बीघा सबसे पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- प्रतिवादी संख्या 2 व 3 विजयसिंह एवं सरोज के सामलाती हक बंट में मौजा गडरिया का खेत ख नं 230 रकबा 31.04 बीघा में से 13.04 बीघा मध्य भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.06.2018 को जारी किया गया।



मुकदमे	रुपये	पैसे	गुदायला	उपखण्ड अधिकारी
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	जायल, जिला नागौर
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी	
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन	
फीस कमी'नर			फीस कमी'नर	
बाबत इजराय हुक्मीजान			बाबत इजराय हुक्मीजान	
मुतफरिफ			मुतफरिफ	

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-कमेडिया  
क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/S28  
दिनांक- 7.06.2018

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी, जायल  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर